

प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 16.10.2026

थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा 10.958 किलोग्राम अवैध गांजा कुल अनुमानित कीमत ₹5,47,900 (पांच लाख सैंतालीस हजार नौ सौ रुपये) बरामद, एक अंतर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.10.2026 को श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन एवं श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण तथा श्री चमन सिंह चावड़ा, क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान एक स्कूटी सवार अभियुक्त राधेश्याम गुप्ता पुत्र वंशीलाल गुप्ता, निवासी ग्राम बबुआपुर, थाना उत्तराव, जनपद प्रयागराज (उम्र करीब 59 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिग्गी में रखे गैस सिलेंडर के अंदर सफेद पन्नियों में छिपाकर रखा गया कुल 10.958 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत ₹5,47,900/- (पांच लाख सैंतालीस हजार नौ सौ रुपये), एक अदद स्कूटी एवं एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। इस संबंध में थाना गोपीगंज पर मु0अ0सं0 415/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 207 एम0वी0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अंतर्जनपदीय अभियुक्त के विरुद्ध प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 04 अभियोग दर्ज है।

गिरफ्तार अंतर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण:-

1. राधेश्याम गुप्ता पुत्र वंशीलाल गुप्ता, निवासी ग्राम बबुआपुर, थाना उत्तराव, जनपद प्रयागराज (उम्र करीब 59 वर्ष)

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 10.958 किलोग्राम अवैध गांजा कुल अनुमानित कीमत ₹5,47,900 (पांच लाख सैंतालीस हजार नौ सौ रुपये)

2. एक अदद स्कूटी संख्या UP70HV2410।

3. एक अदद मोबाइल फोन।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि वह जनपद सोनभद्र से सस्ते दाम पर गांजा खरीदकर लाता है तथा उसे अधिक कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाता है। अभियुक्त द्वारा गांजे को पुलिस से बचाकर ले जाने के उद्देश्य से स्कूटी की डिग्गी में रखे गैस सिलेंडर के अंदर छिपाया गया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्रभारी निरीक्षक श्री सचिदानन्द पाण्डेय, उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद ओझा, का० नीरज निराला, हे०का० निखिल कुमार व हे०का० संदीप पटेल, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।